निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1945 (श0)

(सं0 पटना 538) पटना, मंगलवार, 4 जुलाई 2023

विधि विभाग

अधिसूचना
4 जुलाई 2023

बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023

सं0–सी0/ई0एच0–08/2023/**4960**/जे0––जबकि, बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2021 पहले बनाई गयी थी,

जबकि, उस नियमावली के कुछ खण्ड अव्यावहारिक होने के दृष्टि से,

जबकि, नियम–4 में खोजबीन समिति एवं नियम–5 में चयन समिति का प्रावधान अनावश्यक प्रतीत होता है क्योंकि दोनों समितियों में कुछ सदस्य सामान्य होने एवं नियुक्ति प्राधिकार ही चयन प्राधिकार होने के कारण,

जबकि, उपर्युक्त और अन्य व्यावहारिक कठिनाईयों को देखते हुए, नियमावली, 2021 तैयार होने के बाद विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता में बहुत अधिक प्रगति नहीं हो सकी है,

जबकि, परिणामतः नये सिरे से नयी नियमावली बनाना आवश्यक है,

इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद–162 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, भारत के उच्चतम न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों, अन्य विधि न्यायालयों, न्यायाधिकरणों इत्यादि के लिए बिहार राज्य में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं वस्तुपरक रीति से, बिहार राज्य के विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता प्रक्रिया का उपबंध करने तथा उनकी वचनबद्धता, पारिश्रमिक, कर्त्तव्य एवं अन्य निर्बधन और शर्तों को विनियमित करने तथा उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** ।–
   (1) यह नियमावली बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 कही जा सकेगी।
   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
2. **परिभाषाएँ** ।– इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–
   (क) ''**अधिवक्ता**'' से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन यथापरिभाषित अधिवक्ता;
   (ख) ''**महाधिवक्ता**'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद–165 के अधीन बिहार राज्य के लिए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त व्यक्ति और इस रूप में कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति इसमें शामिल है;

(ग) **''अभिलेख अधिवक्ता''** से अभिप्रेत है भारत के उच्चतम न्यायालय के लागू नियमों के अनुसार अभिलेख अधिवक्ता;

(घ) **''सहायक अधिवक्ता''** से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम–9 के अधीन अधिवक्ता जो विधि पदाधिकारी न हो, किंतु विधि पदाधिकारी को सहायता उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्ध हो;

(ड़) **''कोटि''** से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम–3 में विनिर्दिष्ट विधि पदाधिकारियों की कोटि और इसमें विधि पदाधिकारियों के अन्य कोटि शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, अवधारित की जाय;

(च) **''वचनबद्धकर्त्ता** प्राधिकार'' से अभिप्रेत है सरकार;

(छ) **''सरकार''** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ज) **''सरकारी काउंसेल''** से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम–5(1) के अधीन वचनबद्ध अधिवक्ता;

(झ) **'' विधि पदाधिकारी''** से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम–3 के अधीन वचनबद्ध अधिवक्ता ;

(ञ) **''लोक अभियोजक''** से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय अथवा सेशन डिविजन के लिए लोक अभियोजक होने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2/1974) की धारा–24 के अधीन नियुक्त अधिवक्ता और इसमें अपर लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक (वरीय पैनल) और विशेष लोक अभियोजक शामिल है;

(ट) **''चयन समिति''** से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम–4 के अधीन गठित समिति;

(ठ) **''विशेष काउंसेल''** से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम–13 के अधीन वचनबद्ध कोई अधिवक्ता अथवा वरीय अधिवक्ता।

(ड़) **''शोध काउंसेल''** से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम–14 के अधीन वचनबद्ध कोई अधिवक्ता।

(ढ़) **''विशेष लोक अभियोजक''** से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2/1974) की धारा–24(8) के अधीन अधिवक्ता अथवा अन्य किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से प्रावधानित।

(ण) **''नियमावली''** से अभिप्रेत है बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के नियम।

(त) **''दण्ड प्रक्रिया संहिता''** से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2/1974)

3. विधि पदाधिकारियों की कोटि।

(1) विधि पदाधिकारियों की निम्नलिखित कोटि को पटना उच्च न्यायालय के लिए वचनबद्ध किया जा सकेगा, यथाः–

(क) अपर महाधिवक्ता;
(ख) शासकीय अधिवक्ता;
(ग) सरकारी प्लीडर;
(घ) स्थायी समुपदेशक;
(ड़) लोक अभियोजक;
(च) अपर लोक अभियोजक;
(छ) अपर लोक अभियोजक (वरीय पैनल)

(2) विधि पदाधिकारियों की निम्नलिखित कोटि को भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए वचनबद्ध किया जा सकेगा, यथाः–

(क) अपर महाधिवक्ता;
(ख) स्थायी विधिक सलाहकार;
(ग) अपर स्थायी विधिक सलाहकार

(3) विधि पदाधिकारियों की निम्नलिखित कोटि को बिहार के जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों के लिए वचनबद्ध किया जा सकेगा, यथाः–

(क) लोक अभियोजक;
(ख) सरकारी प्लीडर;
(ग) अपर लोक अभियोजक;
(घ) अपर सरकारी प्लीडर

(4) विधि पदाधिकारियों की उपर्युक्त कोटि तथा प्रत्येक कोटि में नियुक्त होने वाले विधि पदाधिकारियों की संख्या, समय–समय पर, आवश्यकतानुसार, महाधिवक्ता के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर, नियत और/अथवा उपांतरित की जाएगी।

(5) उपर्युक्त उपनियम (4) के अधीन निर्धारण करते समय, सरकार, विभिन्न पहलूओं, यथा सरकार को अन्तर्विष्ट करने वाले विधिक मामलों के कार्यभार, न्यायालयों की कुल संख्या (स्वीकृत और कार्यरत), अन्तर्विष्ट कार्य की प्रकृति, विषय–वस्तु की विशेषज्ञता तथा कोई अन्य सुसंगत सामग्री अथवा पहलू, जिसे उपयुक्त समझे, पर विचार कर सकेगी।

(6) सरकार, इस नियमावली के अधीन पदों के विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों के लिए, वचनबद्धकर्त्ता प्राधिकार होगी और इस प्रकार वचनबद्ध विधि पदाधिकारी सरकार के अगले आदेश तक उन पदों को धारित करेंगे।

4. चयन समिति।–

(1) पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में नियम–3(1)(क) से (घ) तथा नियम–3(2) के अधीन विधि पदाधिकारियों की विभिन्न कोटि की वचनबद्धता के लिए सरकार को अनुशंसा करने हेतु अधिवक्ताओं के नामों की खोजबीन करने तथा पैनल तैयार करने के लिए एक चयन समिति होगी। यह समिति निम्न रूप से गठित होगी, यथाः–

(क) महाधिवक्ता, बिहार	–	अध्यक्ष
(ख) सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार	–	सदस्य
(ग) विशेष/संयुक्त सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार	–	सदस्य

(2) चयन समिति विधि व्यवसाय के विशेषज्ञों को सहयोजित सदस्य/सदस्यों के रूप में शामिल कर सकेगी।

(3) चयन समिति अनुभव और उपयुक्तता के आधार पर अधिवक्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में विधि पदाधिकारी के रूप में उन अधिवक्ताओं की वचनबद्धता के लिए अपनी अनुशंसा सरकार को विधि विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करेगी।

(4) चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर, सरकार, आदेश द्वारा, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में विभिन्न कोटि के पदों में विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता करेगी तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्त्तों को, जो इस संबंध में सरकार द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित की जाय, शामिल करते हुए विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता का आदेश निर्गत करेगी। ऐसे विधि पदाधिकारियों के नामों और जिन श्रेणियों में वे वचनबद्ध हैं, उसे महाधिवक्ता कार्यालय एवं सरकार के वेबसाईटों पर भी प्रकाशित किये जाऐंगे।

परन्तु अत्यावश्यक कार्य में जैसे की कर, निवारक निरोध कानून इत्यादि से संबंधित विशेष अधिनियमों में विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता महाधिवक्ता की अनुशंसा पर की जायेगी, जो कुल स्वीकृत पदों के 15% से अधिक नहीं होगी।

(5) चयन समिति, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्धता के लिए अधिवक्ताओं की रजामंदी मांगने तथा उनके नामों का पैनल तैयार करने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया विनिर्धारित करेगी।

5. सरकारी काउन्सेल/सरकारी प्लीडर/अपर सरकारी प्लीडर/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक (वरीय पैनल)/विशेष लोक अभियोजक–

(1) न्यायाधिकरण या किसी विधि द्वारा या के अधीन गठित न्यायनिर्णायक निकायों या राज्य के किसी अन्य विधि न्यायालय (जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों को छोड़कर) या माध्यस्थों या सरकार के किसी विशिष्ट विभाग के लिए विशेष रूप से अपेक्षित मामले में सरकारी काउंसेल महाधिवक्ता के अनुशंसा पर वचनबद्ध होंगे।

(2) (क) जिला समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से, अनुभव तथा उपयुक्तता के आधार पर, जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों में सरकारी प्लीडर एवं अपर सरकारी प्लीडर की वचनबद्धता के लिए अधिवक्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और उसे सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग को अग्रसारित करेगी।

(ख) जिला समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी द्वारा उस प्रकार अग्रसारित सूची नियम–4(1) के अधीन गठित चयन समिति के समक्ष, इस नियमावली के अधीन यथा उपबंधित पात्रता तथा अर्हताओं तथा उनके अनुभव तथा उपयुक्तता के आधार पर, रखी जाएगी। चयन समिति, नियम–3(3) में यथोल्लिखित पदों की विभिन्न कोटि में सरकार द्वारा वचनबद्धता के लिए अधिवक्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगी। चयन समिति द्वारा ऐसी अनुशंसा किए जाने पर, सरकार, आदेश द्वारा, बिहार के जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों में विभिन्न कोटि के पदों में विधि पदाधिकारियों का वचनबद्धता करेगी।

(ग) इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, पटना उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक (वरीय पैनल) तथा राज्य के

जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों में लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–24 के प्रावधानों के अनुसार ही की जायेगी। इसी प्रकार पटना उच्च न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक तथा जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों में, किसी मामले अथवा किसी वर्ग के मामलों के लिए या विशेष अधिनियम के तहत विशिष्ट मामलों में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–24(8) के प्रावधानों अथवा अन्य किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से प्रावधानित प्रावधान के अनुसार की जायेगी।

परन्तु राज्य के जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों के मामले में लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियाजकों के चयन में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–24(6) (यथा संशोधित बिहार अधिनियम–16/1984) के प्रावधान भी लागू होंगे।

(घ) चयन समिति अधिवक्ताओं के नामों की अनुशंसा करते समय, विभिन्न कोटि के पदों में उनकी वचनबद्धता के लिए इस बात का ध्यान रखेगी कि इस प्रकार अनुशंसित अधिवक्ताओं की सूची में समाज के सभी वर्गो का समुचित प्रतिनिधित्व अंतर्विष्ट है।

6. **पात्रता।–** विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्ध किये जाने योग्य हेतु, कोई अधिवक्ता, पात्र होगाः–

1) भारत का नागरिक और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद् से पंजीकृत होगा;

(2) अभिहित वरीय अधिवक्ता अथवा अभिलेख अधिवक्ता अथवा अधिवक्ता होगा, जो पटना उच्च न्यायालय अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा विधि न्यायालय में विधिक व्यवसाय कर रहा हो अथवा कोई अधिवक्ता जो बिहार के जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों में विधिक व्यवसाय कर रहा हो;

(3) वह उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें वचनबद्धता की जानी हो, कम से कम तीन वित्तीय वर्षों का आयकर निर्धारिती भी रहा हो;

(4) वह अपनी–अपनी कोटि से संबंधित विधिक व्यवसाय के निम्नलिखित वर्षों का अनुभव रखता होः–

(क) पटना उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के लिए अपर महाधिवक्ता हेतु, वह न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में विधिक व्यवसाय कर चुका हो अथवा पटना उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का एक अभिहित वरीय अधिवक्ता रह चुका हो;

(ख) भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थायी विधिक सलाहकार के लिए, वह न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में विधिक व्यवसाय में रह चुका हो;

(ग) पटना उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय में अपर स्थायी विधिक सलाहकार के लिए, वह न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में विधिक व्यवसाय में रह चुका हो;

(घ) पटना उच्च न्यायालय के लिए स्थायी समुपदेशक हेतु वह न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में विधिक व्यवसाय में रह चुका हो;

(ड़) पटना उच्च न्यायालय के लिए सरकारी प्लीडर हेतु, वह न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में विधिक व्यवसाय में रह चुका हो;

(च) बिहार के जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों के लिए सरकारी प्लीडर हेतु, वह न्यूनतम 7 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में विधिक व्यवसाय में रह चुका हो;

(छ) पटना उच्च न्यायालय अथवा बिहार के जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों के लिए लोक अभयोजक हेतु वह न्यूनतम 7 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में विधिक व्यवसाय में रह चुका हो;

(ज) पटना उच्च न्यायालय अथवा बिहार के जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों के लिए अपर लोक अभयोजक/अपर लोक अभियोजक (वरीय पैनल) हेतु वह न्यूनतम 7 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में विधिक व्यवसाय में रह चुका हो;

(झ) बिहार के जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों के लिए अपर सरकारी प्लीडर हेतु वह न्यूनतम 7 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में विधिक व्यवसाय में रह चुका हो।

(ञ) पटना उच्च न्यायालय या बिहार के जिला/अनमण्डलीय न्यायालयों के लिए विशेष लोक अभियोजक हेतु वह न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में विधिक व्यवसाय में रह चुका हो या जैसा प्रासंगिक सांविधि के अन्तर्गत प्रावधानित।

(5) संसद अथवा राज्य के राज्य विधान मंडल अथवा किसी नगर निगम अथवा नगर परिषद, पंचायत अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य हो, जब तक वह वैसा पद धारित करता है, वचनबद्धता के लिए पात्र नहीं होगा।

7. **वचनबद्धता के लिए निरर्हताएँ।**–कोई भी अधिवक्ता या वरीय अधिवक्ता इस नियमावली के अधीन विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्ध होने अथवा बने रहने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में निरर्हरित होगा–

(1) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी न्यायालय में किसी आपराधिक मामले में किसी प्राइवेट व्यक्ति से ब्रीफ स्वीकार करने से विवर्जित है;

(2) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी सिविल मामले में किसी प्राइवेट व्यक्ति से कोई ब्रीफ स्वीकार कर सकेगा बशर्ते कि उसकी स्वीकार्यता विधि पदाधिकारी के रूप में उसके कर्त्तव्यो के निर्वहन मे हस्तक्षेप न करती हो और प्राइवेट पक्षकारों को अंतर्ग्रस्त करने वाले विवादों से मुख्य रूप से संबंधित हो तथा सरकार अथवा उसके पदधारियों को अंतर्ग्रस्त करने वाला न हो;

(3) कोई भी विधि पदाधिकारी प्राइवेट व्यक्ति के लिए अथवा किसी ऐसे मामले में जिसमें उस व्यक्ति के हित सरकार अथवा उसके पदधारियों के प्रतिकूल हो, उपस्थित नहीं होगा अथवा उसे विधिक सलाह नहीं देगा;

(4) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी व्यक्ति से, चाहे वह अर्जीदार अथवा प्रत्यर्थी हो, स्थानीय प्राधिकार अथवा राज्य विधान मंडल या संसद के निर्वाचन के संबंध में आरंभ की गयी किसी निर्वाचन अर्जी की कार्यवाही में किसी व्यक्ति से कोई ब्रीफ स्वीकार नहीं करेगा;

(5) कोई भी व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के राज्य विधान मंडल अथवा किसी नगर निगम अथवा नगर परिषद, पंचायत अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य हो, जब तक वह वैसा पद धारित करता है, विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्धता के लिए पात्र नहीं होगा;

(6) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी परिनियम या अन्यथा के अधीन अथवा द्वारा गठित राज्य के किसी साधनत्व को, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम, प्राधिकार इत्यादि शामिल हैं, विधिक सलाह नहीं देगा अथवा से ब्रीफ स्वीकार नहीं करेगा अथवा की ओर से किसी विधि न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, जहाँ वैसी सलाह, स्वीकार्यता, उपस्थिति सरकार अथवा उसके पदधारियों के हित के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिकूल हो;

(7) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी व्यक्ति, निकाय, संगठन को विधिक सलाह देना, ब्रीफ प्रतिधारित करना अथवा की ओर से किसी विधि न्यायालय में उपस्थित होना जारी नहीं रखेगा जिससे सरकार अथवा उसके पदधारियों के हित, इस नियमावली के अधीन वचनबंध होने के बाद, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता हो;

(8) यदि कोई विधि पदाधिकारी अधिवक्ता न रह जाय अथवा यदि वह किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अधमता से अंतर्विष्ट किसी अपराध में सिद्धदोष हो जाय।

8. **विधि पदाधिकारी का कर्त्तव्य।**– किसी विधि पदाधिकारी के कर्त्तव्य होंगे:–

(1) राज्य सरकार को ऐसे विधिक मामलों में सलाह देना और विधिक प्रकृति के ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार अथवा महाधिवक्ता द्वारा, समय–समय पर, उसे निर्देशित अथवा समनुदेशित किए जाय;

(2) राज्य सरकार और उसके पदाधिकारियों/पदधारियों की ओर से पटना उच्च न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय, किसी अन्य उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य विधि न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष महाधिवक्ता द्वारा यथा आवंटित या यथा निदेशित सभी कार्यवाहियों में जिसमें सरकार का संबंध एक पक्षकार के रूप में हो अथवा वह अन्यथा हितबद्ध हो, असफल रहे बिना उपस्थित होना तथा अभियोजित या प्रतिरक्षण करना;

(3) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो भारत के संविधान या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा या के अधीन विधि पदाधिकारी को प्रदत्त हों।

9. **सहायक अधिवक्ता।**–एक अधिवक्ता, जो न्यूनतम 3 वर्षों से विधिक व्यवसाय में रहा हो, उस संख्या में और उस शुल्क पर, जो महाधिवक्ता की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय, नियम–(8)(2) के अधीन विधि पदाधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अनुपालन में नियम–(3)(1)(क) से (घ) तथा (3)(2) के अधीन महाधिवक्ता या विधि पदाधिकारी के साथ उनकी सहायता के लिए सहायक अधिवक्ता के रूप में वचनबद्ध होने योग्य होगा।

परन्तु यह कि महाधिवक्ता, आपवादिक मामले में, स्वविवेक से, उपर्युक्त अनुशंसा करते समय, किसी अधिवक्ता के लिए, जो उनके द्वारा सहायक अधिवक्ता के रूप में वचनबद्ध होने हेतु बहुत सक्षम और उपयुक्त पाया गया हो, उपर्युक्त दोनों अथवा दोनों अपेक्षाओं में से किसी को शिथिल करने हेतु अनुशंसा सरकार को कर सकेंगे।

10. **विधि पदाधिकारियों की मुक्ति।**–इस नियमावली के अधीन पदों की विभिन्न कोटि के लिए वचनबंध या को धारित करने वाले विधि पदाधिकारी अथवा सरकार की इच्छा से इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई अधिवक्ता, यदि नियम–6 के अधीन पात्र न पाया जाय अथवा नियम–7 के अधीन निरर्हता से ग्रस्त पाये जाने पर अथवा इस नियमावली के नियम–8 के अधीन कर्त्तव्यों के अनुपालन में असफल रहने पर, महाधिवक्ता के परामर्श से विधि विभाग, बिहार के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार द्वारा किसी

भी समय मुक्त कर दिया जायेगा। विधि पदाधिकारी इस संबंध में महाधिवक्ता को एक माह की सूचना देकर स्वयं को मुक्त कर सकेगा।

11. अनुपालन का पुनर्विलोकन।–

(1) पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए वचनबद्ध होने वाले इस नियमावली के अधीन यथोल्लिखित विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा तथा वैसा मुल्यांकन, उनके कर्त्तव्यों के अनुपालन के मूल्यांकन के लिए, सरकार के पास भेज दिया जायेगा और सरकार, ऐसे विधि पदाधिकारियों को, महाधिवक्ता के परामर्श से विधि विभाग, बिहार के प्रतिवेदन के आधार पर, मुक्त कर देगी जिनका प्रदर्शन इस नियमावली के नियम–8 के अधीन कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में, उनकी असफलता के कारण संतोषप्रद न रहा हो;

(2) राज्य के जिला/अनुमण्डलीय न्यायालयों के लिए वचनबद्ध होने वाले इस नियमावली के अधीन यथोल्लिखित विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा वैसा मूल्यांकन उनके कर्त्तव्यों के मूल्यांकन के लिए सरकार के पास भेज दिया जायेगा तथा सरकार, ऐसे विधि पदाधिकारियों को, महाधिवक्ता के परामर्श से विधि विभाग, बिहार के प्रतिवेदन के आधार पर, मुक्त कर देगी जिनका प्रदर्शन इस नियमावली के नियम–8 के अधीन कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में, उनकी असफलता के कारण संतोषप्रद न रहा हो।

12. प्रतिधारण शुल्क, शुल्क और अन्य भत्तें।– नियम–8 में यथोल्लिखित कर्त्तव्यों के अनुपालन के लिए किसी विधि पदाधिकारी को प्रतिधारण शुल्क, शुल्क और अन्य भत्तें सहित ऐसा शुल्क संदत्त किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित की जाय।

13. विशेष काउन्सेल।– इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाधिवक्ता को, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए, ऐसे निर्बधनों एवं शुल्क पर, जो प्रशासी विभाग तथा विधि विभाग के परामर्श से, नियत की जाय, सरकार के लिए किसी अधिवक्ता को, जो इस नियमावली के अधीन विधि पदाधिकारी न हो, सरकार के लिए महत्वपूर्ण मामलों में विशेष काउंसेल के रूप में वचनबद्ध करने का विवेकाधिकार होगा।

14. शोध काउंसेल।– इस नियमावली में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी महाधिवक्ता को अधिकाधिक पाँच की संख्या में अनधिक 3 वर्षों की अवधि के लिए उनके द्वारा निर्गत आदेश द्वारा, उन निर्बधनो और शर्त्तों पर जो विधि विभाग के परामर्श से, नियत की जाय, सरकार के लिए, यथा विधायी प्रारूपण, तकनीकी विधि–विधीक्षा, सरकार के लिए विशेष रूप से सांवैधानिक, कराधान, राजस्व एवं आपराधिक मुद्दे अंतर्विष्ट करने वाले मामलों के लिए व्यापक शोध जैसे सरकार के लिए विशिष्ट प्रकृति के विधिक कार्य को कार्यान्वित करने के लिए अधिवक्ताओं को वचनबद्ध करने का विवेकाधिकार होगा।

15. व्यावृत्ति एवं अभिभावी प्रभाव।–

(1) अन्य नियमावली, नीति या कार्यकारी निर्देश के अंतर्विष्ट होते हुए भी, यह नियमावली प्रभावी होगी और विधि पदाधिकारियों एवं सरकारी काउंसेल/विशेष काउन्सेल/शोध काउन्सेल के वचनबद्धता को विनियमित करेगी।

(2) इस नियमावली के प्रवृत्त हाने के पूर्व उसमें उपबंधित विषयों के संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई/निर्गत इस नियमावली के विरूद्ध किसी बात अथवा विधि परामर्शी नियमावली, 1946 में अंतर्विष्ट विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता से संबंधित किसी बात का प्रभाव इस नियमावली पर नहीं होगा।

(3) बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2021 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। ऐसे निरसन के होने के बावजूद भी नियमावली, 2021 के अन्तर्गत किया गया कोई भी कार्य या कोई वचनबद्धता वर्तमान नियमावली के तहत किया गया माना जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
रमेश चन्द मालवीय,
सचिव–सह–विधि परामर्शी, बिहार।

Law Department

Notification

The 4th July 2023

Bihar Law Officers (Engagement) Rules, 2023

No. C/EH-08/2023-**4960**/J.—Whereas, Bihar Law Officers (Engagement) Rules, 2021 was framed earlier,

Whereas, in view of certain clauses of the Rules being unworkable,

Whereas the provision of Search Committee in Rule-4 and Selection Committee in Rule-5 appears unnecessary because some members in both committees being common and appointing authority being selection authority,

Whereas, in view of above and other workable difficulties, not much progress in engagement of Law Officers could be made after framing of 2021 Rules,

Whereas, it is therefore necessary to frame new Rules afresh,

Now therefore, in exercise of powers conferred under Article 162 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following rules to provide for process of engagement of Law Officers for the State of Bihar including Hon'ble Patna High Court, Hon'ble Supreme Court of India and other Courts of Law, Tribunals, etc., in a transparent and objective manner and to regulate their engagement, professional fees, duties and other terms and conditions and for matters connected there with and incidental there to:-

1. ***Short title and commencement-***
   (1) These Rules may be called the Bihar Law Officers (Engagement) Rules, 2023.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. ***Definitions:-** In these rules, unless the context otherwise requires:-*
   (a) ***"Advocate"*** means an advocate as defined under The Advocates Act, 1961;
   (b) ***"Advocate General"*** means a person appointed under Article-165 of the Constitution of India as Advocate General for the state of Bihar and includes any person appointed to act temporarily as such;
   (c) ***"Advocate-on-Record"*** means an Advocate-on-Record as per the applicable Rules of the Supreme Court of India;
   (d) ***"Assistant Counsel"*** means an Advocate not being a Law Officer but engaged to provide assistance to Law Officer under Rule-9 of these Rules;
   (e) ***"Category"*** means the category of post of Law Officers specified in Rule 3 of these Rules and includes such other categories of Law Officers, as may be determined by the Government from time to time;
   (f) ***" Engaging Authority "*** means the Government;
   (g) ***" Government "*** means the Government of the State of Bihar;
   (h) ***" Government Counsel "*** means an Advocate engaged under Rule-5(i) of these Rules;
   (i) ***" Law Officers "*** means an Advocate engaged under Rule-3 of these rules;
   (j) ***"Public Prosecutor "*** means an Advocate appointed under section-24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.-2 of 1974) to be a Public Prosecutor for the Patna High Court or for the Sessions Division and includes Additional Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor (Senior Panel) and Special Public Prosecutor;
   (k) ***"Selection Committee "*** means a committee constituted under Rule-4 of these Rules.
   (l) ***"Special Counsel "*** means an Advocate or a Senior Advocate engaged under Rule 13 of these Rules.
   (m) ***"Research Counsel "*** means an Advocate engaged under Rule-14 of these Rules.

(n) ***" Special Public Prosecutor "*** means an advocate engaged under Section-24(8) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.-2 of 1974) or any other Special Act specially provided therein.

(o) ***"Rule(s) "*** means the Rule(s) of the Bihar Law Officers (Engagement) Rules, 2023.

(p) "***The Code of Criminal Procedure "*** means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.-2 of 1974)

3. ***Categories of Law Officers.—***

(1) The following Categories of Law Officers may be engaged for the Patna High Court, namely:-
- (a) Additional Advocate General;
- (b) Government Advocate;
- (c) Government Pleader;
- (d) Standing Counsel;
- (e) Public Prosecutor;
- (f) Additional Public Prosecutor;
- (g) Additional Public Prosecutor (Senior Panel);

(2) The following Categories of Law Officers may be engaged for the Supreme Court of India, namely:-
- (a) Additional Advocate General;
- (b) Standing Counsel;
- (c) Additional Standing Counsel;

(3) The following Categories of Law Officers may be engaged for the District/Sub-divisional Courts of Bihar, namely:-
- (a) Public Prosecutor.
- (b) Government Pleader.
- (c) Additional Public Prosecutor.
- (d) the Additional Government Pleader.

(4) The above categories of Law Officers and the number of Law Officers to be engaged under each category shall be fixed and/or modified, from time to time as required, by the Government based on an assessment made by the Government in consultation with the Advocate General.

(5) The Government while making assessment under sub-Rule(iv) above may take into consideration of various aspect, namely, the workload of legal cases involving the Government, the total number of Courts (sanctioned and working), the nature of work involved, specialization in subject matters and any other relevant material or aspect, as it deems fit.

(6) The Government shall be the Engaging Authority for the Law Officers belonging to the various categories of posts under these Rules and the Law Officers so engaged shall hold such posts during the further order of the Government.

4. ***Selection Committee:-***

(1) There shall be a Selection Committee for searching the names and preparing the panel of Advocates for making recommendation to the Government for engagement of different categories of Law Officers under the Rule-3(1)(a) to (d) and 3(2) in the Patna High Court and in the Supreme Court of India. This Committee Shall consist of the following, namely:-

(a)	Advocate General, Bihar	-	Chairman
(b)	Secretary-cum-Legal Remembrancer, Law Department, Bihar	-	Member
(c)	Special/Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer, Law Department, Bihar	-	Member

(2) The Selection committee may include experts in the profession of law as co-opted member(s).

(3) The Selection Committee shall prepare a panel of names of Advocates on the basis of their experience and suitability and submit its recommendation to the Government through the Law Department for engagement of such Advocates as Law Officers in the Patna High Court and the Supreme Court of India.

(4) On the recommendations made by the Selection Committee, the Government shall, by order, make the engagement of Law Officers to the various categories and shall issue orders of engagement of Law Officers including such terms and conditions as may be determined by the Government in this regard from time to time. The names of such Law Officers and the categories to which they stand engaged shall also be published on the websites of the Government and the office of the Advocate General:

Provided that in exigency of work such as Special acts dealing with Taxation, Preventive Detention Laws, etc. Engagement of law officers shall be made on recommendation of the Advocate General on such posts, not exceeding 15% of the total sanctioned post.

(5) The Selection Committee shall formulate its own procedure for seeking willingness and preparation of the panel of the names of the advocates for engagement as Law Officers in the Patna High Court and the Supreme Court of India.

5. ***Government counsel/Government Pleader/Additional Government Pleader/ Public Prosecutor/Additional Public Prosecutor/Additional Public Prosecutor (Senior Panel)/Special Public Prosecutor-***

(1) The Government counsel for Tribunals, other adjudicatory bodies constituted by or under any law or any other Court of law of the State (except the District/Sub-divisional Courts) or arbitrators or in case so specially required for any particular Department of the Government shall be engaged on the recommendation of the Advocate General, Bihar.

(2) (a) The Collector-cum-District Magistrate, in consultation with the District and Sessions Judge for the concerned district, shall prepare a panel of names of Advocates on the basis of their experience and suitability for engagement of the Government Pleader and the Additional Government Pleader in the District/Sub-divisional Courts and forward the same to the Secretary-cum-Legal Remembrancer, Law Department.

(b) The list so forwarded by the Collector-cum-District Magistrate shall be placed before the Selection Committee constituted under the Rule 4(i) and based on the eligibility and qualifications as provided under these Rules and also their experience and suitability, the Selection Committee shall prepare a panel of names of Advocates for engagement by the Government on the categories of posts mentioned in the Rule 3(3). On such recommendations made by the Selection Committee, the Government shall, by order, make engagement of Law Officers to the various categories of Posts in the District/Sub-divisional Courts of Bihar.

(c) Notwithstanding anything contained in these Rules, the engagement of Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor and Additional Public Prosecutor (Senior Panel) in the Patna High Court and Public Prosecutor and Additional Public Prosecutor in the District/Sub-divisional Courts of the State shall be made as per the provisions of section 24 of the Code of Criminal Procedure. Similarly, the engagement of Special Public Prosecutor in the Patna High Court or in the District/Sub-divisional Courts for any class or class of cases or special offences under the Special Acts shall be made as per the provisions of Section 24(8) of the Code of Criminal Procedure or any other special Acts specially provided therein.

Provided that in respect of such engagement of Public Prosecutors and Additional Public Prosecutors in the District/Sub-divisional Courts of the State the Provisions of Section 24(6) of the Code of Criminal Procedure as substituted by Bihar Act 16 of 1984 shall also be applicable.

(d) The Selection Committee while making recommendation of the names of the Advocates for their engagement on various categories of posts shall have regard to the fact that the list of the Advocates so recommended contains proper representation of all sections of the society.

6. ***Eligibility:-*** *In order to be eligible to be engaged as a Law Officer, an Advocate shall be:-*

(1) a citizen of India and registered with a Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961;

(2) a designated senior Advocate or an Advocate-on-record or an Advocate, who has been practicing in the Patna High Court or the Supreme Court of India or an Advocate who has been practicing in the District/Sub-divisional Courts of Bihar;

(3) he should be an income tax assessee for at least last three financial years from the financial year in which engagement is to be made;

(4) he should possess the following standing in number of years of practice against the respective categories:-

(a) For an Additional Advocate General for the Supreme Court and the Patna High Court he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years or a designated Senior Advocate of the Supreme Court or the Patna High Court;

(b) For a Standing Counsel for the Supreme Court of India he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years;

(c) For a Government Advocate for the Patna High Court or For an Additional Standing Counsel for the Supreme Court of India he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years;

(d) For a Standing Counsel for the Patna High Court he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years;

(e) For a Government Pleader for the Patna High Court he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years;

(f) For a Government Pleader for the District/Sub-divisional Courts of Bihar he has been in practice as an Advocate for not less than 07 years;

(g) For a Public Prosecutor for the Patna High Court or for the District/Sub-divisional Courts of Bihar he has been in practice for not less than 07 years;

(h) For an Additional Public Prosecutor/Additional Public Prosecutor (Senior Panel) for the Patna High Court or for the District/Sub-divisional Courts of Bihar he has been in practice as an Advocate for not less than 07 years;

(i) For an Additional Government Pleader for the District/Sub-divisional Courts of Bihar he has been in practice as an Advocate for not less than 07 years.

(j) For a Special Public Prosecutor for Patna High Court or for the District/Sub-divisional Courts of Bihar he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years or as provided under relevant statute;

(5) a member of the Parliament or a Legislature of the State, a Municipal Corporation, a Municipal Council, a Panchayat or any other Local Authority, shall not, as long as he hold that office, be eligible for engagement.

7. ***Disqualification for engagement.***—An Advocate or a senior Advocate shall be disqualified from being engaged or to continue as Law Officer under these Rules in the following circumstances:-

(1) a Law Officer who accepts brief from any private person in a criminal case in any court;
(2) a Law Officer may accepts a brief from any private person for a civil case in any court provided that such acceptance does not interfere with the discharge of his duties as a Law Officer and relates solely to dispute involving private parties and not involving the Government or its officials.
(3) a Law Officer shall not appear for or give legal advice to private person or matter in which the interest of the person are likely to be adverse to that of the Government or its Officials;
(4) a Law Officer shall not accept a brief from any person, whether a petitioner or respondent, in proceedings initiated in an Election Petition in connection with an Election to a Local Authority or the State Legislature or the Parliament;
(5) a person, who is a member of the parliament or a Legislature of the State, a Municipal Corporation, a Municipal Council, a Panchayat or any other Local Authority, shall not, as long as he hold that office, be eligible for engagement;
(6) a law officer shall not give legal advice to or accept a brief from or appear in any Court of Law on behalf of any instrumentality of the State, constituted by or under any statute or otherwise, including various Universities, Boards, Corporations, Authorities etc, where such advice acceptance or appearance is in conflict with the interest of the Government or its Officials , either directly or indirectly;
(7) a Law Officer shall not continue to give legal advice to or to retain brief from or appear in any Court of Law on behalf of any person, body, association, company etc which effects the interest of the Government or its Officials, either directly or indirectly, after being engaged under these Rules;
(8) If the Law Officer ceases to be an Advocate or is convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude.

8. ***Duties of Law Officer.***—It shall be duties of a Law Officer:-
(1) to give advice to the Government upon such matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time, be referred or assigned to him by the Government or the Advocate General.
(2) to appear without fail on behalf of the Government and its Officials and either prosecute or defend all proceedings, as that case may be, before the Patna High Court or the Supreme Court or any other High Court or any other Courts of Law or any Authority as allotted or as directed by the Advocate General, in which the Government is concerned as a party or is otherwise interested.
(3) to discharge such other functions as are conferred on a Law Officer by or under the Constitution of India or any other Law for the time being in force.

9. ***Assistant counsels.***—An advocate who has been in practice for not less than 3 Years shall be eligible for engagement as Assistant Counsel for rendering assistance to the Law Officers for the Patna High Court and Supreme Court of India in such number and as such fees, as may be decided by the Government on the recommendation of the Advocate General for being attached with the Advocate General or the Law Officer mentioned under the Rule 3(1)(a) to (d) and 3(2) for assisting the Law Officer in performance of their duties as Law Officers under the Rule 8(2) of these Rules.

Provided that the Advocate General may, in his discretion in exceptional case, also recommend to the Government while making the above recommendation, to relax above requirement for an Advocate who is found by him to be very competent and deserving to be engaged as Assistant Counsel.

10. ***Disengagement of Law Officers***.—The Law Officers engaged and holding the various categories of posts under these Rules or an Advocate engaged under these Rules at the pleasure of the Government shall be disengaged at any time by the Government in consultation with the Advocate General on the basis of report of the Law Department, Bihar or if found to be not eligible as under Rule 6 or having found to have incurred disqualification as under Rule 7 or on failure to perform the duties as under Rule 8 of these Rules. The Law Officer may disengage himself after giving one month notice to the Advocate General in this regard.

11. ***Review of performance:-***

(1) The works of different categories of Law Officers engaged, as mentioned under these Rules, for the Patna High Court and the Supreme Court of India shall be assessed every year by the Advocate General and such assessment shall be sent to the Government for appraisal of their performance of duties and the Government shall disengage such Law Officers, in consultation with the Advocate General on the basis of report of the Law Department, Bihar Whose performance has not been satisfactory on account of their failure to perform the duties as under Rule 8 of these Rules.

(2) The works of different categories of Law Officers engaged, as mentioned under these Rules, for the District/Sub-divisional Courts of the State shall be assessed every year by the District and Sessions Judge and the District Magistrate of the concerned District and such assessment shall be sent to the Government for appraisal of their performance of duties and the Government may disengage such Law Officers, in consultation with the Advocate General on the basis of report of the Law Department, Bihar whose performance has not been satisfactory on account of their failure to perform the duties as under Rule 8 of these Rules.

12. ***Retainer, Fee and other Allowances.*****—**For performance of the duties as mentioned in Rule 8 a Law Officer shall be paid fee including retainer fee, and such other allowances as may be determined by the Government from time to time.

13. ***Special Counsel.*****—**Notwithstanding anything contained in these Rules, the Advocate General shall have the discretion to engage for the Patna High Court and the Supreme Court of India, on such terms and fee as may be fixed, in consultation with the Administrative Department and the Law Department, an Advocate for the Government as a Special Counsel who is not a Law Officer under these Rules, in case(s) involving important issue(s) for the Government.

14. ***Research Counsel.*****—**Notwithstanding anything contained in these Rules, the Advocate General, by an order issued by him, shall have the discretion to engage up to a maximum of five in numbers for not more than the period of three years. Terms and condition, consolidated fee per month may be fixed in consultation with the Law Department. Such Research Counsel may inter alia be entrusted for carrying out a specialized nature of the legal work for the Government, such as legislative drafting, techno legal vetting, comprehensive research for case(s) involving important issues for the Government, specially constitutional, taxation, revenue and criminal.

15. ***Saving and overriding effect.*****—**

(1) Notwithstanding anything contained in other Rule, Policy or Executive Instruction, These Rules shall prevail and will regulate engagement of Law Officers and Government Counsels/Special Counsels/ Research Counsels.

(2) Anything contrary to these Rules made or issued by the Government in connection with the matters provided for herein prior to coming force of these Rules or anything contained in the Legal Remembrancer Rules, 1946 shall not have any effect and shall not stand saved from the date of coming in force of these Rules.

(3) Bihar Law Officer (Engagement) Rules, 2021 is hereby repealed. Notwithstanding, such repeal, anything done or any engagement made under 2021 Rules will be deemed to have been made under the present Rules.

By order of the Governor of Bihar,
RAMESH CHAND MALVIYA,
Secretary-cum-Legal Remembrancer, Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 538-571+200-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in